निगरानी / एल0आर0 / 1338 / 2005 / गंगानगर
सोहन सिंह के विधिक उत्तराधिकारी बलवन्तसिंह
बनाम
सरकार व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री प्रशान्त सोनी, अभिभाषक अपीलांटस। (2) श्री खुर्शीद अनवर उप राजकीय अभिभाषक (3)श्री एस0एस0 सिद्धू रेस्पो0 संख्या 2 के वारिसान की ओर से **निर्णय** **दिनांक : 29.04.2022** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 14.03.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार अपीलांट संख्या 1 एवं रेस्पो0 संख्या 3 से 5 के पिता एवं 6 ससुर तथा 7 के दादा बहादुरसिंह को चक 2 डीजेएम का पत्थर नम्बर 224 / 429 की 25 बीघा भूमि जरिये मिसल संख्या 491 / 72 दिनांक 19–6–73 के द्वारा पुख्ता अलोट हुई। उक्त आवंटन के विरुद्ध डिप्टी उप निवेशन आयुक्त श्री विजयनगर के समक्ष शिकायत होने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19–10–81 द्वारा बहाहदुर सिंह का आवंटन निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध आवंटी बहादुरसिंह द्वारा अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त एवम राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष पेश की जो उनके निर्णय दिनांक 23–6–1984 द्वारा स्वीकार की गयी। उक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार ने निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष पेश की गयी। बहादुरसिंह के वारिसान ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका पेश की जो स्वीकार की गयी एवं प्रकरण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व अपील अधिकारी को इस आधार पर रिमाण्ड किया कि बहादुरसिंह के वारिसान को रिकार्ड पर लेकर उन्हें सुन कर निर्णय पारित करे। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 28–2–2002 को अपील स्वीकार कर प्रकरण अतिरिक्त कलक्टर को रिमाण्ड कर दिया। विद्वान अतिरिक्त कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 27–6–2002 के द्वारा उपायुक्त उपनिवेशन का आदेश दिनांक 19–10–81 बहाल रखा, जिसके द्वारा बहाहदुर सिंह का आवंटन निरस्त किया गया। अतिरिक्त कलक्टर के निर्णय कके विरुद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी श्री गंगानगर के समक्ष पेश की जो उनके निर्णय दिनांक 14–3–2005 द्वारा खारिज कर दी गयी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष पेश की गयी है। 3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की निगरानी पर बहस सुनी गयी। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23–6–84 में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि 48 जीबी में उसके पास 12–10 बीघा भूमि आवंटन होने के बाद क्रय की है, इसलिए बरवक्त आवंटन बताने का प्रश्न ही नहीं था। इस आधार पर आवंटन निरस्त किया जाना उचित नहीं माना जा सकता। उक्त भूमि की खरीद तहसील के रिकार्ड से सत्यापित की जा सकती है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कोई रिपोर्ट नही ली। अब पुनः उक्त आधार को मान कर अतिरक्त कलेक्टर ने पुनः गलती की है। इसके अलावा जारी निर्देशों में	

निगरानी / एल0आर0 / 1338 / 2005 / गंगानगर
सोहन सिंह के विधिक उत्तराधिकारी बलवन्तसिंह
बनाम
सरकार व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह भी है कि तहसीलदार जिसकी रिपोर्ट की रिपोर्ट रिकार्ड पर आधारित नहीं है। मौजूदा रिकार्ड मिसल बन्दोबस्त में कोई इन्द्राज नहीं है। ग्राम वासियों ने जाहिर किया कि उक्त आवंटी को 25 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जिसका बेचान 1929 से पूर्व कर दिया जाना स्पष्ट है कि रिपोर्ट रिकार्ड पर आधारित नहीं है। जबकि रिपोर्ट रिकार्ड पर आधारित होनी चाहिए। ग्राम वासियों के कहने के आधार पर नहीं। उनका तर्क है कि बहादुरसिंह का देहान्त हो चुका है।शिकायतकर्ता द्वारा महज रंजिशवश या परेशान करने की गरज से प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। मात्र सरसरी तौर पर अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलांट के विरुद्ध निर्णय पारित कर कानूनी त्रुटि की है।उनका तर्क है कि अतिरिक्त कलक्टर ने रिमाण्ड निर्देशों की पालना नहीं की है जबकि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–6–84 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्णय पारित करना चाहिए था। उक्त बिन्दु पर गौर नहीं कर अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय पारित कर कानूनी त्रुटि की है। अन्त में अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त कर आवंटन बहाल रखे जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया। 5– प्रत्युत्तर में अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से दौराने बहस लिखित बहस प्रस्तुत कर, निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय उचित व कानून सम्मत है अतः अपील आधारहीन होने से खारिज की जावे। 6– विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गहनता से अध्ययन व अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त आवंटन कराने से पूर्व बहादुरसिंह के पास गॉव तिजारा जिला अलवर में भूमि थी जो उसने 1929 में बेच दी जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रवलियों में संलग्न तहसीलदार तिजारा अलवर के प्रतिवेदन क्रमांक 242 दिनांक 9–6–1980 से बखुबी स्पष्ट होता है। इसके अलावा बहाहदुरसिंह ने स्वयं दिनांक 24–2–81 को दिये गये अपने बयानों में स्वीकार किया है कि उसने 10 वर्ष पूर्व चक 48 जीबी में आधा मुरब्बा जमीन क्रय की थी जो अब उसके पास है। राजस्व अभिलेख के अनुसार बहाहदुर सिंह को भूमि का आवंटन 1973 में हुआ , आवंटन होते समय उसने आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रा.पत्र पर चक 48 जीबी की 12.10 बीघा भूमि होने का तथ्य प्रकट नही किया और इस प्रकार तथ्य छुपा कर विवादित भूमि का आवंटन अपने पक्ष में करवा लिया। इसी आधार पर अतिरिक्त उप निवेशन आयुक्त सतर्कता प्रकोष्ट, बीकानेर द्वारा दिनांक 19–10–81 को अपीलांट के पति–पिता को आवंटित चक 2 डीजेएम की 25 बीघा भूमि का आवंटन तथ्य छुपा कर कराने के कारण निरस्त किया गया था। अतिरिक्त कलेक्टर, सूरतगढ ने इसी आदेश को अपने निर्णय दिनांक 27–6–2002 को कायम रखा है। 7– उक्त आवंटन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर इस प्रकरण की सम्पूर्ण जॉच व परीक्षण करने के पश्चात ही यह आवंटन सम्बन्धित नियमों के विरुद्ध होने और विधि विरुद्ध प्रमाणित होने के पश्चात ही खारिज किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के इस प्रकरण में समवर्ती निष्कर्ष एवं समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिनमें हम इस अपील के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	माध्यम से किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि व अनियमितता सिद्ध नहीं होने के परिणामस्वरुप यह अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है। 8— अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	